

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक | ०४ जून, 2022

विषय-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत 132 के०वी० उपकेन्द्र मिण्टोपार्क एवं 132 के०वी० उपकेन्द्र तेलियारगंज के मध्य 132 के०वी० अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाइन बिछाने के कार्य हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.298 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3070/11-सी-एफपी/य०पी०/ट्रान्स /33687/2018, दिनांक 28-4-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 21.08.2014 एवं 13.02.2014 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत 132 के०वी० उपकेन्द्र मिण्टोपार्क एवं 132 के०वी० उपकेन्द्र तेलियारगंज के मध्य 132 के०वी० अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाइन बिछाने के कार्य हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.298 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.08.2018 की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन विधिवत स्वीकृति निर्गत किया जाता है:-

- (1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा किया गया है, परन्तु भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० देयता के संबंध में आदेश दिनांक 06.01.2022 यथा संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2022 का अनुपालन प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा।
- (2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।
- (6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (7) नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि

भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- (10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- (11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, ३०प्र० सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- ५-३/२००७ एफसी (पीटी), दिनांक १९-८-२०१० तथा पत्र संख्या- J-११०१३/४१/२००६-IA-II(I), दिनांक ०२ दिसम्बर, २००९ के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की इष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।
- (15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अप्डरेटेंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (19) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-११-९/९८-एफसी, दिनांक ०८-०७-२०११ में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।
- (20) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (21) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-११-९८-एफसी, दिनांक १३-२-२०१४ के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले ५ वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।
- (22) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (23) भारत सरकार के आदेश दिनांक ०६.०१.२०२२ यथासंशोधित आदेश दिनांक १९.०१.२०२२ के क्रम में एन०पी०वी०टेयता का अनुपालन प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा।
- (24) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्तें/प्रतिबंधों(Terms & Conditions) के अनुपालन के संबंध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को

उपलब्ध करायी जायेगी

- (25) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत अनुमति आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या-1001(1)/81-2-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, ३०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि, इलाहाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।


०६/०६/२०२२

आज से,


(आर०पी० सिंह)
अनुसचिव।